

प्रेषक,  
शिशिर  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।  
सेवा में,  
निदेशक,  
उ०प्र० संग्रहालय निदेशालय,  
लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग:

लखनऊ: दिनांक 16 फरवरी, 2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में डा० भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय, रामपुर की बाउण्ड्रीवाल एवं अन्य निर्माण कार्यों को कराये जाने की अवशेष धनराशि को अवमुक्त करने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-900/उ०प्र०सं०नि०-1(56)/2019-20 दिनांक 20 जनवरी, 2021 तथा शासनादेश संख्या-81/2020/ 572/चार-2020 दिनांक 18 मार्च, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डा० भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय, रामपुर की बाउण्ड्रीवाल एवं अन्य आवश्यक कार्यों को कराये जाने हेतु मूल्यांकित लागत धनराशि रू० 28.94 लाख की प्रशासकीय एवं रू० 22.95 लाख (रूपये बाइस लाख पंचानबे हजार मात्र ) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी।

तदक्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में डा० भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय, रामपुर की बाउण्ड्रीवाल एवं अन्य निर्माण कार्यों को कराये जाने हेतु अवशेष धनराशि रू० 5.99 लाख (रूपये पाँच लाख निन्नानबे हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- शासनादेश संख्या-81/2020/ 572/चार-2020 दिनांक 18 मार्च, 2020 में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेंगी।

3- उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या- 92- आयोजनेत्तर पक्ष के लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-107-संग्रहालय-03-अधिष्ठान-42-अन्य व्यय, उ०प्र० संग्रहालय निदेशालय लखनऊ मद से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 , दिनांक 24 मार्च, 2020 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
(शिशिर)  
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या - 16 /2021 / 287 (1)/चार-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज।
- 2- आहरण एवं वितरण अधिकारी-सहायक निदेशक, राज्य संग्रहालय लखनऊ
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, यू०पी० स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि० (सिडको) मुरादाबाद।
- 5- प्रभारी, डा० भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय, रामपुर
- 6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
(शिशिर)  
विशेष सचिव

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।